

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संचिका सं० : - 09/निधि-स्कीम (0123-सात निश्चय-2 सुलभ सम्पर्कता)02-08/2025- 166(9) 15/01/2026
पटना, दिनांक -

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मु०),
पथ निर्माण विभाग, (आवंटन विवरणी के अनुसार)।

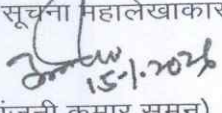
विषय: माँग सं०-41 के मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-337-सड़क निर्माण कार्य, उपशीर्ष-0123-सात निश्चय-02 सुलभ सम्पर्कता, विपत्र कोड - 41-5054033370123, विषय शीर्ष-0123.53.01-मुख्य निर्माण कार्य एवं विषय शीर्ष- 0123.53.02- भू-अर्जन मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

आदेश: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन विवरणी के स्तम्भ-7 में अंकित माँग पत्र के आलोक में संबंधित प्रमंडलों को स्तम्भ सं०-5 में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹ 19,56,15,000/- (उन्नीस करोड़ छप्पन लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित संबंधित अंकित पथ प्रमंडलों को आवंटन विवरणी के अनुसार वर्ष 2025-26 में कुल आवंटित राशि स्तम्भ सं०-6 के अनुसार हो जायेगी।

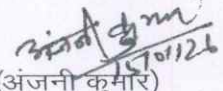
- यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय-व्यय 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
- यह व्यय माँग सं०-41 के मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-337-सड़क निर्माण कार्य, उपशीर्ष-0123-सात निश्चय-02 सुलभ सम्पर्कता, विपत्र कोड - 41-5054033370123, विषय शीर्ष-0123.53.01-मुख्य निर्माण कार्य एवं विषय शीर्ष- 0123.53.02- भू-अर्जन मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561/वि. (2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 227/ वि., दिनांक- 28.03.2025 एवं पत्रांक-235 /वि. दिनांक-01.04.2025 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-एम०-4-53/2007-6439 दिनांक-28.08.2018 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
- आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
- यह व्यय प्रशासनिक एवं प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा जाय।
- आवंटित राशि से निर्माण कार्य में व्यवहृत विभागीय सामग्रियों मूल्य के समतुल्य राशि आवंटित राशि से घटाने के पश्चात् अवशेष राशि व्यय किया जाय। अलकतरा का उपयोग विभागीय संकल्प सं०- 6191 (एस) दिनांक-08.09.2001 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप किया जाय।
- आवंटन विवरणी के क्रम सं०-1 के लिए आवंटित राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना CFMS के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को पटना कोषागार, पटना स्थित पी.एल. खाता संख्या- 242(old), जमा खाता नं०- PTCPLA011 विपत्र कोड- K8448001200018 में पुस्त अंतरण हेतु कोषागार को प्रेषित करेंगे।

a

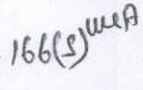
11. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि में से होने वाली संभावित बचत राशि का प्रत्यापन दिन 15.02.2026 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय।
12. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।


(अंजनी कुमार सुमन)

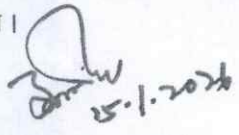
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(अंजनी कुमार)

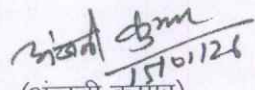
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका सं0 : - 09/निधि-स्कीम (0123-सात निश्चय-2 सुलभ सम्पर्कता)02-08/2025- 166(5)  15/01/2026 पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / सचिव कोषांग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख कोषांग, प0नि0वि0, पटना/ संयुक्त सचिव (प्र0 को0), प0नि0वि0, पटना/ मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प0नि0वि0, पटना/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), प0नि0वि0, पटना/ कार्यपालक अभियंता (बजट-2), प0नि0वि0, पटना/ अवर सचिव (बजट), प0नि0वि0, पटना / आई.टी. मैनेजर, प0नि0वि0, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-9 एवं लेखा प्रशाखा, प0नि0वि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

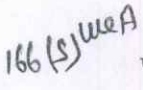

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

संचिका सं0 : - 09/निधि-स्कीम (0123-सात निश्चय-2 सुलभ सम्पर्कता)02-08/2025- 166(5)  15/01/2026 पटना, दिनांक -

(राशि रुपये में)

क्रम सं0	प्रमंडल / कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष	शीर्षान्तर्गत पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति (पत्रांक/ दिनांक के आलोक में)
1	2	3	4	5	6	7
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मु0), पथ निर्माण विभाग के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना के लिए	0123.53.01	0	15,00,00,000	15,00,00,000	3588 / 05.12.2025
2	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भभुआ	0123.53.01	2,50,00,000	2,00,00,000	4,50,00,000	733/ 18.12.2025
योग			2,50,00,000	17,00,00,000	19,50,00,000	

आवंटन विवरणी

संचिका सं० : - 09/निधि-स्कीम (0123-सात निश्चय-2 सुलभ सम्पर्कता)02-08/2025- 166(S) ^{सुप} पटना, दिनांक - 15/01/2026

(राशि रुपये में)

क्रम सं०	प्रमंडल / कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष	शीर्षान्तर्गत पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति (पत्रांक/ दिनांक के आलोक में)
1	2	3	4	5	6	7
3	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज।	0123.53.02	0	2,50,00,000	2,50,00,000	1609 / 12.12.2025
4	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल शेखपुरा।	0123.53.02	1,43,000	6,15,000	7,58,000	1806/ 23.12.2025
योग			1,43,000	2,56,15,000	2,57,58,000	
कुल योग			2,51,43,000	19,56,15,000	22,07,58,000	
वर्तमान आवंटन शब्दों में उन्नीस करोड़ छप्पन लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र।						

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।